

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1239 / 2015 / बीकानेर

मैसर्स शिवा कम्युनिकेशन,
बीकानेर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी,
बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शफी मौहम्मद चौहान,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरना

उप राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 09 / 01 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 465/आरवैट/बीकानेर/2013-14 के आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें उक्त अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, बीकानेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.11.2013 में नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क रु. 50,000/-की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2011-12 हेतु व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.11.2013 में राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19ए के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- का आरोपण किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 26.03.2015 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित लेट फीस की पुष्टि की गई। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के सम्मुख पेश की गई है।


29.1.2018

निरन्तर.....2

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलार्थी ने 2011-12 के चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु कम्प्यूटर में तकनीकी समस्या के कारण वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, जिस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया, जो कि विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि वर्ष 2011-12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र पेश करने की अन्तिम दिनांक 27.05.2013 थी तथा लेट फीस के संबंध में नियम 19ए के प्रावधान दिनांक 06.03.2013 को संशोधित कर दिये गये थे, अतः आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 50,000/- नियम विरुद्ध है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक यह भी कथन किया कि नियम 19ए के संशोधित प्रावधान जो आलोच्य अवधि 2011-12 के लिये प्रवृत्त थे, के अनुसार मासिक करदाता के विरुद्ध 100 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25000/- रुपये तक का विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क रुपये 50,000/- आरोपित किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा जिसकी पुष्टि की गयी है, वह विधि विरुद्ध है। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, जो निम्न प्रकार है :-

1. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 1238/2015/बीकानेर मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, खण्ड-द्वितीय, बीकानेर, निर्णय दिनांक 18.05.2017
2. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 1240/2015/बीकानेर मैसर्स श्रीबाबा रामदेव फाइबर कूलर प्रोडक्ट, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, खण्ड-द्वितीय, बीकानेर, निर्णय दिनांक 20.05.2017

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि का वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपने इन कथनों के परिपेक्ष्य में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


09.1.2018

निरन्तर.....3

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 का वार्षिक रिटर्न वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः नियम 19ए के अंतर्गत उसका विलम्ब शुल्क भुगतान का दायित्व बनता है, जिसकी गणना व्यवहारी की कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर किये जाने के प्रावधान हैं। वर्ष 2011-12 के लिये प्रवर्तनीय नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक करदाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क 100/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम रुपये 25,000/- तक हो सकेगा तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस 50/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम रुपये 5,000/- हो सकेगा।

7. अपीलार्थी एक मासिक करदाता है, अतः नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का दायित्व बनता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या F.12(11)FD/Tax/2013-104 दिनांक 06.03.2013 द्वारा नियम 19ए में 01.04.2013 से प्रभावी संशोधन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-


"19A Late Fee- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of -

(i) Rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twentyfivethousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act;

(ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return; and

(iii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-12 हेतु वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी तथा दिनांक 06.03.2013 को नियम 19ए में 01.04.2013 से प्रभावी संशोधन किया जा चुका था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मायारानी पुंज के प्रकरण में दिये गये निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330, के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने का Continuing default उस दिन समाप्त होता है जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान उक्त Continuing default समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील हैं, वे ही लागू होंगे। अतः इस आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में भी विलम्ब शुल्क जमा कराने के दायित्व की गणना या आरोपण तदानुसार ही किया जाना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा उद्धरित दोनों न्यायिक दृष्टांतों में कर बोर्ड ने यही निर्णीत किया है।



निरन्तर.....4

8. प्रस्तुत प्रकरण में वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण संपूरित करते समय विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- निर्धारित किया है। चूंकि अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- दिनांक 31.03.2013 तक ही प्रभावी था एवं नियम 19ए में दिनांक 06.03.2013 को किये गये संशोधन के पश्चात कर निर्धारण तिथि अर्थात् दिनांक 26.11.2013 को यथा संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे अर्थात् मासिक करदाता के मामले में अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/- ही आरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने रूपये 50,000/- का विलम्ब शुल्क निर्धारित कर तथा अपीलीय प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि कर विधिक त्रुटि कारित की है।
9. उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है जिसके द्वारा वर्ष 2011-12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी तथा जो कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.11.2013 तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः इससे नियम 19ए के तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार 25,000/- रूपये विलम्ब शुल्क ही देय होता है। अतः इस सीमा तक अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।



01.01.2015

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य